भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र संं0 8 बी/यू.सी.पी./09/112/2021/एफ.सी. **दिनांकः As per E-sign**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः जनपद - चम्पावत के अंतर्गत नगर पंचायत, बनबसा एवं नगर पालिका परिषद्, टनकपुर के कूड़ा निस्तारण हेतु बनबसा में ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के निर्माण हेतु 0.80 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु नगर पंचायत, बनबसा को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Others/33662/2018)|

सन्दर्भः कार्यालय- नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक 788/12-1: देहारादून: दिनांक 10-10-2025 (received online on 24.04.2026).

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.12.2022 द्वारा राज्य सरकार से कुछ सूचनायें चाही गई थी जिसका प्रतिउत्तर संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित किया गया है जिसमे कुछ त्रुटियाँ पाई गई है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः-

1. The trenching ground is proposed in the midst of the forest area. The State Government may explore a suitable alternative location for such a facility outside or away from the forest area, so that the adjoining forest ecosystem is not adversely affected by its operation.
2. Layout plan along with the area-wise and dimension-wise breakup of the all the proposed components shall be submitted.
3. It is seen that the cost of the project is not mentioned anywhere in the administrative approval and financial sanction. Documents with the cost of the project shall be submitted.
4. Plantation scheme on current wage rate, KML file, maps, suitability certificate, etc. for plantation area shall be submitted.
5. NPV calculation sheet as per the current rates and norms shall be submitted.
6. No' is mentioned against para H of Part-I i.e. "Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986 ?". This needs to be corrected.

7. Status of Environment Clearance is required.
8. Site Inspection Report of DFO on the prescribed format shall be submitted.
9. Wildlife Management Plan and Soil Moisture Conservation Plan are not submitted, the same shall be submitted.

उपरोक्त के क्रम में जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 02-06-2026
16:16:17

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)
सहायक महानिरीक्षक वन (**केन्द्रीय**)

प्रतिलिपिः- प्रमुख सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।